न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 68/2020

मुकुट बिहारी पुत्र रामचन्द जाति वैश्य निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. अलीमौहम्मद
2. झडमल
3. गोरे खां
4. अस्सर पिसरान चांद खां जाति सक्का निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश शर्मा वकील वादी

दिनांक :– 30/04/2024

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 188, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 230/0.04 हैक्टर बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी में स्थित है। जिस पर वादी खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है और आज भी मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त है। प्रतिवादीगण का आराजी मुतदाविया से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है फिर भी प्रतिवादीगण कब्जे काश्त वादी में मजाहमत व मदाखलत करना चाहते है और पत्थर, बंजरी आदि डालकर प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर कब्जा नाजायज करने की फिराक में है जिसकी बाबत दिनांक 05/04/2020 को स्पष्ट शब्दों में ऐलानिया धमकी दी है। यदि प्रतिवादीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी । जिसकी पूर्ति जर्रे नकद से कदापि संभव नहीं हो सकेगी। विधि वजह वादी खिलाफ प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि वे कब्जे काश्त वादी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न करे निर्माण कार्य ना करे कब्जा नाजायज ना करे ।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये इसलिए दिनांक 29/08/2023 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

Scanned with OKEN Scanner

साक्ष्य वादी में पी0डब्लू0 1 मुकुट बिहारी , का शपथ पत्र पेश कर अपनी साक्ष्य बन्द की।

बहस वकील वादी सुनी गई । वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया । पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 से 2074 का भी अवलोकन किया। उक्त नकल जमाबन्दी में वादी विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार है। प्रतिवादीगण का जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित ना होना यह प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण को वादी द्वारा किये गये दावे से कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 230/0.04 हैक्टर बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करें। पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/04/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (डीग)

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (डीग)

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी डीग (राज0)
पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 68/2020

मुकुट बिहारी पुत्र रामचन्द जाति वैश्य निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. अलीमौहम्मद
2. झडमल
3. गोरे खां
4. अस्सर पिसरान चांद खां जाति सक्का निवासी गोपालगढ तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ सुनीता यादव आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 230/0.04 हैक्टर बांके ग्राम माधोगढ तहसील पहाडी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत ना करें।

आज ..... X ...... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30/04 सन् 2024 को जारी की गई ।

दस्तखत ....
ओहदा ....
उपखण्ड अधिकारी

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय (डीग)	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
	4.00		मीजान		
मीजान					